प्राक्कथन

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम दर्शाए गए हैं। इस प्रतिवेदन में 11 पैराग्राफ शामिल हैं।

लेखापरीक्षित संगठन परिवर्ती स्वरूप तथा विषयों वाले स्वायत्त निकाय हैं। ये संगठन आवश्यक रूप से सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से कुछ विशिष्ट लोकोपयोगी सेवाओं के निष्पादन अथवा सरकार के कुछ कार्यक्रमों तथा नीतियों के निष्पादन हेतु अभिप्रेत हैं। इन निकायों तथा प्राधिकरणों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रसार भारती, पत्तन न्यास आदि सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए।